

इसकी बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति R.N.R. अर्थात् 12.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर) कर की दर से करदेयता लागू होगी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। (Para 4)

निर्णय

1. सर्वश्री एपिक इन्टर प्राईजेज कालादुंगी रोड, हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये "गुलकन्द" की बिक्री पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत वस्तु की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है, उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि गुलकन्द वैट अधिनियम की किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः इस पर 12.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर) कर की दर से करदेयता लागू होगी।

3. व्यापारी को उपरोक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 08.12.2010 की तिथि से अवगत कराते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया, जो व्यापारी के लेखाकार को विधिवत तामिल कराया गया। नियत तिथि को व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही कोई लिखित उत्तर ही प्रेषित किया गया।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना पत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। "गुलकन्द" उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होता है। अतः इसकी बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति R.N.R. अर्थात् 12.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर) कर की दर से करदेयता लागू होगी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

Dated: 22.12.2010.

Application disposed of.

[VSTI 2011 ... C-88]

U.P. TRIBUNAL, GHAZIABAD

(श्री अशोक कुमार, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य)

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

.....अपीलार्थी

बनाम

सर्वश्री कैमिको कैमिकल्स प्रा0लि0 54/7-9, साईट-4, साहिबाबाद, गाजियाबादप्रत्यर्थी

अपीलसंख्या-731ए/09(2008-09) धारा-54(1)(14)

वादी की ओर से: श्री मौ0 असलम, डि0क0/रा0प्र0।

प्रतिवादी की ओर से: श्री जी0सी0 अग्रवाल, सी0ए0।

Decided on: 8th December, 2010.

Penalty – Detention of goods for violation of Section 50(4) r/w Rule 54(3) – Release thereof U/s. 48(7) – Only Column No. 6 of Form 38 found blank – Bill/Cash memo/invoice number and date found not written therein due clerical error – Merely by virtue of non-mentioning of invoice number and date in column no. 6 of Form 38, intention of tax evasion stand not proved – Penalty imposed unjustified and the order of First A.A. stand confirmed as no error therein found – Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008, Section 54(1)14.

Cases referred:

- सर्वश्री गुलजार इण्ड0 बनाम सी0टी0ओ0 2007-7, एस0सी0सी0-269 तथा असिस्टेंट कार्मार्शियल

टैक्स आफिसर बनाम बाला जी इलैक्ट्रिकल्स
(2009)-1- एस0सी0सी0-308

(Page No. C-90, Para 3)

- सर्वश्री के0एम0 जी0एस0 रोड साइंस प्रा0लि0 बनाम कामर्शियल टैक्स 2009 एन0टी0एन0 (बोलयूम-39) पेज-263

(Page No. C-90, Para 3)

- सर्वश्री मल्टीटेक्स फिलटेशन इन्जी लि0 बनाम कमिश्नर कामर्शियल टैक्स आफिसर (कामर्शियल टैक्स रिवीजन संख्या-481/2009 निर्णय दिनांक 20.7.2009)

(Page No. C-90, Para 4)

- सर्वश्री मल्टीटेक्स फिलटेशन इन्जी0लि0 नोएडा बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश (2004-46 एस0टी0जे0-442)

(Page No. C-90, Para 4)

- सर्वश्री रामा पल्सेज बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश-2010(48) एस0टी0जे0 पेज-265

(Page No. C-90, Para 4)

- सर्वश्री के0एम0 जी0एस0 रोड साइंस प्रा0लि0 बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश-2009 एन0टी0एन0 (बोलयूम-38) पेज-263

(Page No. C-90, Para 4)

- सर्वश्री दुजोवाला प्रोडक्ट्स लि0 बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश-2009 एन0टी0एन0 (बोलयूम 40)-41

(Page No. C-91, Para 4)

HELD:

प्रस्तुत मामले में अभिलेखों के परीक्षण एवं आयात घोषणा पत्र/फार्म-38 के कालम-6 में इनवाइस संख्या व तिथि न लिखने से व्यापारी का करापवंचन का कोई उद्देश्य प्रमाणित नहीं होता है। अतः व्यापारी के विरुद्ध जो अर्धदण्ड आरोपित किया गया है, वह उचित नहीं है और उसे समाप्त करके प्रथम अपीलीय अधिकारी ने

कोई त्रुटि नहीं की है। तदनुसार विभागीय अपील बलहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

(Para 4)

निर्णय

(श्री अशोक कुमार, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य)

1. यह द्वितीय अपील श्री आर0एन0 राम, ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) पंचम वाणिज्य कर, गाजियाबाद के प्रथम अपील सं0-227/09(2008-09) में पारित निर्णय दिनांक 17.8.2009 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें विवादित अर्धदण्ड की राशि रु 3,40,000/- निहित है।

2. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 5.11.2008 को वाहन संख्या-डी0एल0-आई0एल0जी0/ 9700 की जाँच असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचलदल नवसृजित इकाई, गाजियाबाद द्वारा की गई। जाँच के समय वाहन चालक द्वारा लिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये:-

(1) फार्म-38 संख्या- 3181664 की मूल व द्वितीय प्रतियाँ।

(2) सर्वश्री रीवैक्स पॉलिमर्स प्रा0लि0, ए-528 रीको इण्ड0 एरिया टपूकरा, जिला-अलवर (राजस्थान) का इनवाइस संख्या-0658 दि0 5.11.2008 रु 824968/-

(3) सर्वश्री गंगा टैम्पो ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जी0आर0 संख्या-13091 दि0 5.11.2008

उक्त प्रपत्रों के अनुसार वाहन में लदा माल एन्टिमनी टाइआक्साईड व्यापारी द्वारा आयात किया जा रहा था। सचल दल अधिकारी द्वारा कडकडपुल सहायता केन्द्र के पास वाहन एवं प्रपत्रों की जाँच पर पाया गया कि आयात घोषणा पत्र की मूल प्रति में कालम 6, जिसमें बिल/कैशमीमों/चालान/टैक्स इनवाइस संख्या व तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए, वह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई और प्रस्तुत स्पष्टीकरण

को अस्वीकार करते हुए माल को अभिग्रहीत किया और माल के अनुमानित मूल्य ₹0 8,50,000/- पर ₹0 1,02,000/- की जमानत जमा कराकर माल को अवमुक्त किया गया। तदोपरान्त व्यापारी पर धारा-54(1)(14) के अन्तर्गत ₹0 3,40,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अर्थदण्ड आदेश के विरुद्ध व्यापारी ने प्रथम अपील दायर की, जिसे उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.8.09 के द्वारा स्वीकार करते हुए आरोपित अर्थदण्ड को समाप्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग ने यह द्वितीय अपील दायर की है।

3. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य-प्रतिनिधि ने अपने अपीलीय आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा है कि अधिनियम की धारा-50 व तत्सम्बन्धी नियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य में माल आयात किये जाते समय बिल्टी, इनवाइस व विधिवत् रूप से भरा हुआ फार्म-38, माल के साथ संलग्न होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आयात किये जा रहे माल के साथ संलग्न फार्म-38 में क्रमांक-6, बिल्कुल खाली पाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा फार्म-38 का बार-2 पुनः प्रयोग किया जाता है, और करअपवंचन के उद्देश्य से माल का आयात किया जा रहा था। व्यापारी का यह तर्क उचित नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी के लिपिक की गलती के कारण फार्म-38 का कालम नहीं भरा जा सका। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वश्री गुलजार इण्डो बनाम सी0टी0ओ0 2007-7, एस0सी0सी0-269 तथा असिस्टेंट कामर्शियल टैक्स आफिसर बनाम बाला जी इलैक्ट्रिकल्स (2009)-1-एस0सी0सी0-308 में दिये गये निर्णय में मूलतः अपूर्ण आयात घोषणा पत्र के आधार पर आयातित माल को स्वयं में करापवंचन का प्रमाण मानते हुए अभिग्रहण व अर्थदण्ड की कार्यवाही को उचित माना गया है। इसी आधार पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री के0एम0 जी0एस0 रोड साइंस प्रा0लि0 बनाम

कामर्शियल टैक्स 2009 एन0टी0एन0 (बोलयूम-39) पेज-263 तथा *सर्वश्री मल्टीटेक्स फिल्ट्रेशन इन्जी0 लि0 बनाम कमिश्नर कामर्शियल टैक्स आफिसर (कामर्शियल टैक्स रिवीजन संख्या-481/2009 निर्णय दिनांक 20.7.2009) में दिये गये निर्णयों में अपूर्ण आयात घोषणा पत्र विशेषकर कालम नं0-6 जिसमें बिल/कैशमीमों/इनवाइस तथा तिथि का अंकन होता है, के खाली रहने पर उ0प्र0 वैंट अधिनियम की धारा 50 तथा तत्सम्बन्ध नियमों में वर्णित व्यवस्था का उल्लंघन होना प्रमाणित माना गया है। इन तथ्यों के आधार पर व्यापारी पर जो अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, वह उचित है और उसे समाप्त करके प्रथम अपीलीय अधिकारी ने त्रुटि की है। उनके द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए विभागीय अपील का स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. व्यापारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवहन किये जा रहे माल की जाँच के समय फार्म-38, इनवाइस तथा बिल, बिल्टी आदि उपलब्ध पायी गईं और इन्हें जाँच के समय वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कहा गया उनके द्वारा फार्म-38 विक्रंता व्यापारी को भेज दिया गया था, किन्तु ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी की गलती के कारण उक्त कालम-6 नहीं भरा जा सका, जिसमें व्यापारी का दोष नहीं है। माल भेजने वाले व्यापारी को इस त्रुटि के लिए उन्हें दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। माल के आयात करने में उनका कोई करापवंचन का उद्देश्य नहीं है। माल की खरीद का पूर्ण इन्द्राज उनके बहीखातों में उपलब्ध है। परिवहन किया जा रहा माल एक्साइजेबिल है और एक्सार्ज विभाग के नियन्त्रण में रहता है। यह माल फार्म-सी के विरुद्ध आयात किया जा रहा था, जिसमें करापवंचन का कोई उद्देश्य निहित नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री मल्टीटेक्स फिल्ट्रेशन इन्जी0लि0 नोएडा बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश (2004-46 एस0टी0जे0-442) तथा सर्वश्री रामा पल्सेज बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर

प्रदेश-2010(48) एस0टी0जे0 पेज-265 में यह निर्णय दिया गया है कि मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-54(1)(14) व्यापार कर अधिनियम की धारा-15ए(1)(ओ) के समतुल्य है तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री जैन शुद्ध वनस्पति के वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-54(1)(14) के लिए भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। इस निर्णय में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सर्वश्री के0एम0 जी0एस0 रोड साइंस प्रा0लि0 बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश-2009 एन0टी0एन0 (वोल्यूम-38) पेज-263 में दिये गये निर्णय के सभी तथ्यों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार के निर्णय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद द्वारा सर्वश्री दुजोवाला प्रोडक्ट्स लि0 बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश-2009 एन0टी0एन0 (वोल्यूम 40)-41 में भी दिया गया है। इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट है कि माल के परिवहन के समय वाहन चालक के पास उपलब्ध आयात के घोषणा/पत्र फार्म-38 में किसी कालम की

सूचना के रिक्त रहने के आधार पर प्रत्येक मामले का परीक्षण करके व्यापारी के करापवंचन का उद्देश्य का निष्कर्ष निकाला जाना अनिवार्य है तभी धारा-54(1)(14) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में अभिलेखों के परीक्षण एवं आयात घोषणा पत्र/फार्म-38 के कालम-6 में इनवाइस संख्या व तिथि न लिखने से व्यापारी का करापवंचन का कोई उद्देश्य प्रमाणित नहीं होता है। अतः व्यापारी के विरुद्ध जो अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, वह उचित नहीं है और उसे समाप्त करके प्रथम अपीलारी अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। तदनुसार विभागीय अपील बलहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विभाग द्वारा दायर द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है और प्रथम अपीलारी आदेश को पुष्टि की जाती है।

Dated: 08.12.2010.

Application dismissed.